प्रेस नोट सं0-57

दिनांक 30.12.2024

सराहनीय कार्य थाना अमेठी जनपद अमेठी

हत्या का खुलासा, हत्या से संबन्धित प्रकाश में आया अभियुक्त घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार।

वादी श्री आलोक अग्रहरि पुत्र स्व0 दयाशंकर अग्रहरि नि0 ग्राम महमूदपुर धम्मौर रोड आवास विकास के सामने थाना व जनपद अमेठी द्वारा दिनांक 30.12.2024 को थाना अमेठी पर लिखित तहरीर दी गयी कि 28.12.2024 को समय लगभग 01.00 बजे दिन में बाहर से काम करके वापस घर आया तो देखा मेरी पत्नी दिव्या अग्रहरि मृत अवस्था में दुपट्टे से दरवाजे की कुंडी से लटकी हुई थी। मुझे शक है कि मेरी पत्नी की हत्या रवि कुमार नाम के सिपाही ने की है। उक्त सूचना पर थाना अमेठी पर मु0अ0सं0 268/24 धारा 103(1), 238 बीएनएस बनाम रवि शुक्ला (बाइस्तवाह) पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही थी। **घटना के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक अमेठी द्वारा टीमों का गठन कर आवश्यक आदेश निर्देश दिये गये थे।**

उक्त घटना के अनावरण के क्रम में दिनांक 30.12.2024 को प्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार सिंह थाना अमेठी मय हमराह द्वारा घटना से संबन्धित अभियुक्त रवि कुमार पुत्र छन्नालाल निवासी ग्राम कनौति थाना फफूद जनपद औरैया उम्र करीब 32 वर्ष को महराजपुर ककवा रोड के पास से समय करीब 01.35 बजे दिन में घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल होण्डा साइन के साथ गिरफ्तार किया गया। थाना अमेठी द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त रवि कुमार ने बताया कि सितम्बर माह में डायल 112 पर तैनाती के दौरान मैं दिव्या अग्रहरि (मृतका) और उसके पति के बीच झगडें की सूचना पर उसके घर गया था तभी से मेरा दिव्या अग्रहरि से संपर्क था। विगत कुछ दिनों से दिव्या अग्रहरि और मेरे बीच व्यक्तिगत बातों को लेकर बहस होने लगी थी, जो लगातार बढ़ती जा रही थी। दिनांक 28.12.2024 को मौका पाकर मैं दिव्या अग्रहरि के घर पहुंचा तब हम दोनो के बीच व्यक्तिगत बातों को लेकर कहासुनी होने लगी, कहासुनी के दौरान मेरे द्वारा उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गयी तथा मृतका के ही दुपट्टे से उसके गले में बांधकर खींच दिया गया और दरवाजे की कुंडी से लटका दिया गया। इसके पश्चात मृतका का मोबाइल ले जाकर तोड़कर फेंक दिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना अमेठी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी स्थान- महराजपुर ककवा रोड **दिनांक-** 30.12.2024 **समय-**करीब 01.35 बजे दिन में।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

- रवि कुमार पुत्र छन्नालाल निवासी ग्राम कनौति थाना फफूंद जनपद औरैया उम्र करीब 32 वर्ष।

बरामदगी-

- घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल होण्डा साइन

पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही -

- मु0अ0सं0 268/24 धारा 103(1), 238 बीएनएस थाना व जनपद अमेठी।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री बृजेश सिंह थाना व जनपद अमेठी।
2. अतिरिक्त निरीक्षक धीरेन्द्र यादव थाना व जनपद अमेठी।
3. हे0का0 अनिरूद्ध यादव थाना व जनपद अमेठी।
4. का सौरभ अग्रहरि थाना व जनपद अमेठी।
5. का राजेश यादव थाना व जनपद अमेठी।